



Government of Haryana
Environment, Forest and Wildlife Department
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक: 398-व-4-2023 / 1234
चण्डीगढ़ दिनांक

21/2/2023

विषय:

Diversion of 0.8886 forest land in Faridabad Forest Division for construction of Greenfield connectivity to Jewear International Airport from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass KMP link Spur to Delhi Mumbai Expressways under Bharatmala Pariyojna, Faridabad
(On line Proposal No. FP/HR/ROAD/149539/2021)

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा पंचकूला की सिफारिश के दृष्टिगत CMU, MATHURA, NHAI के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में फरीदाबाद वन मण्डल के तहत 0.8886 हे० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 212 वृक्ष (वालयूम 135.71 m³) बाधक है जो कटवाए जाएंगे व इसके अतिरिक्त 144 पौधे भी नष्ट होंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता ऐजेंसी से कैम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी:-

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	435914.40
2.	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	59218.56
3.	Barbed Wire Fencing Charge (A+B)	1926400.00
4.	Supervisory Charge	242153.30
5.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैण्ड	1091725.07
6.	मृदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	703531.76
7.	फैलिंग चार्जिज	162852.00
8.	अतिरिक्त चार्जिज	105902.10
	कुल	4727697.19

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Dhoj Section 4&5 पर 2408 पौधे लगावाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1-52/Misc/2019/ROC/496 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक,

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

Full Title of the Project : Diversion of 0.8886 ha of forest land for construction of Greenfield connectivity to Jewear International Airport from DND-Faridabad- Ballabhgarh bypass KMP link Spur to Delhi Mumbai Expressway Under Bharatmala Pariyojna. Under Forest Division and District Faridabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/ROAD/149539/2021

PART-V

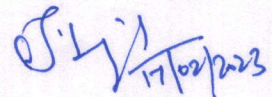
(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	---------------------------

Date : 17/02/2023

Place : Chandigarh

Signature

 17/02/2023

Name: **Dr. T.P Singh,**
Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department

Office Seal: **Secretary to Govt. of Haryana,**
Forest Department